संख्या-50/2021/1111/26-3-2021

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0,लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 25 मार्च 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना में चतुर्थ त्रैमासिक किश्त की धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1212/स0क0/एन0एन0ए0पी0/वृ0पे0यो0/ 2020-21, दिनांक-19.03.2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2235-सामा◌ाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 04-वृद्धावस्था/किसान पेंशन (राज्य योजना) 00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में **धनराशि रू0-19312.20 लाख (रू0-एक अरब तिरानबे करोड़ बारह लाख बीस हजार मात्र)** को अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें 06- उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित स्वरोजगार योजनाओं में अनुदान (100◌ःभारत सरकार)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में रू0-8712.20 लाख, लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 07-अनुसूचित जातियों के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेर्तु सहायक (जिला योजना) 00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में रू0-5000.00 लाख एवं लेखाशीर्षक-2225- अनु0जा0अनु0ज0जा0 तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, 00-41-भोजन व्यय मद में रू0-5600.00 लाख की बचतों की धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं◌ः-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/ डाकखाना/ डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(3)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-24 मार्च 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशां◌े का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(7)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(8)-प्रश्नगत प्रकरण में लम्बित देयता का भुगतान सत्यापन उपरांत सही पाने पर ही किया जायेगा।

(9)-धनराशि की उपलब्धता का दायित्व विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(10)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है उसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिये उक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है तथा इस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 04-वृद्धावस्था/किसान पेंशेन (राज्य योजना) 00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनविर्नियोग कर वहन किया जायेगा।

भवदीय

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

पृ0संख्या-50/2021/1111 (1)/26-3-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

[redacted]

पुनर्विनियोग के लिए आदेश/स्वीकृति
(सन्दर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-150)

अनुदान संख्या व नाम – 83 राष्ट्रीय वृद्धावस्था /किसान पेंशन योजना (राज्यांश) समाज कल्याण विभाग

वित्तीय वर्ष 2020-21

(धनराशि लाख रू० में)

निम्नलिखित शीर्षों से प्रस्तावित संशोधन				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	आदेश पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आदेश पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संशोधित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संशोधन हेतु अनुमोदित धनराशि	संशोधन के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2225-01-789-01-00-20 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें 00- उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित स्वरोजगार योजनाओं में अनुदान (100% राज्य सरकार) 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	10000.000	8712.200	8712.200	8712.200	1287.800
2225-01-789-07-00-20 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 07-अनुसूचित जातियों के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायक (जिला योजना) 00 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	10000.000	5000.000	5000.000	5000.000	5000.000
2225-01-789-12-00-41 2225-अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 12-राजकीय आवासीय छात्रावास विद्यालय, 00- 41-पोषण व्यय	6600.000	5600.000	5600.000	5600.000	1000.000
योग	26600.000	19312.200	19312.200	19312.200	7287.800

निम्नलिखित शीर्षों में प्रस्तावित संशोधन				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रावधित कुल व्यय	संशोधन हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संशोधन की धनराशि	संशोधन के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2235-60-789-04-00-20 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 04- वृद्धावस्था /किसान पेंशन (राज्य योजना) 00- 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	77400.000	96712.200	19312.200	19312.200	96712.200
योग	77400.000	96712.200	19312.200	19312.200	96712.200

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:- स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।
1. स्तम्भ-8 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है-योजना/अभियान के क्रियान्वयन किये जाने के कारण।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आ०अ०ए०-651/दस-2021, दिनांक-25 मार्च, 2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

(राकेश कुमार सचान)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग।

राजेन्द्र राम
अनु सचिव
वित्त विभाग।
उ०प्र०।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ0संख्या- 50 /2021/1117(1)/26-3-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलाहाबाद।
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4/ वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2, उ0प्र0 शासन।
6– राज्य योजना आयोग अनु0–1/2, उ0प्र0 शासन।
7– निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सेठान)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।